उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0 मुख्यालय, सामान्य अनुभाग, 2महात्मा गॉधी मार्ग, लखनऊ

पत्रांक : नीलामी/सामान्य/2013–14 दिनॉक 15.06.2013

अम्बेसडर कारों की शानदार नीलामी

सहकारिता विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध उ0प्र0कोआपरेटिव बैंक लि0, 2,महात्मा गॉधी मार्ग, लखनऊ की पेट्रोल चालित तीन एम्बेसडरकारों यू.पी. 32 एक्स 8964, यू.पी. 32 क्यू 4850, यू.पी. 32 एस 1750 की जहॉ है, जैसे है के आधार पर दिनॉक 19.06.2013 को उक्त बैंक मुख्यालय परिसर में स्थित उक्त बैंक की मुख्य शाखा के सभाकक्ष में अपरान्ह 2.00 बजे से आसान शर्तो पर अलग–अलग लाटों पर सार्वजनिक नीलामी की जायेगी। धरोहर की धनराशि प्रति कार रू0 10,000.00 तथा नीलामी में भाग लेने हेतु प्रति वाहन रू0 100.00 पंजीकरण शुल्क नगद में देय होगा। नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप तथा नीलामी की विस्तृत नियम एवं शर्तों का विवरण यहॉ परिशिष्ट–1 एवं 2 पर संलग्न है। उक्त नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति द्वारा अपना आवेदन पत्र बैंक के ई–मेल : upcb.lucknow@gmail.com पर भेजा जा सकता है।

संलग्नक : यथोक्त

प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0,

मुख्याल–2, महात्मा गॉधी मार्ग, लखनऊ।

वाहन –नीलामी में भाग लेने हेतु

आवेदन–पत्र

1. आवेदक का नाम :..
2. आवेदक का पता –
   (अ) वर्तमान :..
   (ब) स्थायी : ....
   (स) पते की पुष्टि में साक्ष्य : ....
3. वाहन के स्वामी का नाम : उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0, मुख्यालय, लखनऊ
4. वाहन नीलामी की तिथि एवं समय : ....
5. वाहनों का विवरण जिसकी नीलामी में आवेदक भाग लेना चाहता है :–

वाहन का प्रकार	वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर	लाट संख्या	आवेदन पत्र का शुल्क	धरोहर की धनराशि

6. आवेदक की तरफ से नीलामी में भाग लेने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति का विवरण–
   (अ) नाम :..
   (ब) स्थिति/पद :..
   (स) पता : 1–वर्तमान :..
   2–स्थायी :..
   ....
7. धरोहर की धनराशि जमा करने का विवरण –

1. धनराशि अंकों में रू0 :..

शब्दों में रू0 :...

2. जमा करने का ढंग(नकद / बैंक ड्राफ्ट) ....

बैंक ड्राफ्ट संख्या :...

जारीकर्ता बैंक शाखा का नाम ....

बैंक शाखा का नाम, जिस पर ड्राफ्ट जारी है ....

मैं / हम यह घोषणा करता हूँ / करते है कि मुझे / हमें बैंक द्वारा वाहन की नीलामी हेतु निर्धारित सभी नियम एवं शर्तें (**Terms and Conditions**) स्वीकार है।

आवेदक का–

संलग्नक–

1. बैंक ड्राफ्ट यदि धरोहर की धनराशि ड्राफ्ट द्वारा जमा की गयी है।
2. आवासीय पते की पुष्टि में साक्ष्य की छाया प्रतिलिपि

हस्ताक्षर..........................

नाम ....

दिनॉक..................................

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0,

मुख्यालय, सामान्य अनुभाग, पंचम तल,
2–महात्मा गॉधी मार्ग, लखनऊ
वाहन–नीलामी हेतु नियम एवं शर्तें
(Terms and condition)

1. बैंक के निष्प्रयोज्य 03वाहनों की नीलामी जहॉ है, जैसे है के आधार पर अलग–अलग तीन लाटों में की जायेगी।

लाट सं0	वाहन रजिस्ट्रेशन नं0	वाहन का प्रकार एवंवजन (टन में)	निर्माता कम्पनी	कय तिथि / माडल	ईंधन	तय की गई दूरी (कि0मी0 में)	वाहन का कय मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
01	यू0पी0–32 एक्स–8964	कार 1.10	हिन्दुस्तान मोटर्स	08.04 99	पेट्रोल	5.00 लाख	3,97,690.00
02	यू0पी0–32 क्यू–4850	कार 1.10	हिन्दुस्तान मोटर्स	22.03.97	पेट्रोल	6.00 लाख	3,36,500.00
03	यू0पी0–32 एस–1750	कार 1.10	हिन्दुस्तान मोटर्स	10.09.97	पेट्रोल	6.00 लाख I	3,54,750.00

2. नीलामी में बोली बोलने हेतु इच्छुक व्यक्तियों / संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा उक्त वाहनों का उक्त कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में पूर्वान्ह् 10.30 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे के मध्य निरीक्षण किया जा सकता है।

3. नीलामी कमेटी द्वारा उक्त वाहनों की सार्वजनिक नीलामी 2, महात्मा गॉधी मार्ग, लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0, के मुख्यालय परिसर में स्थित उक्त बैंक की मुख्य शाखा, लखनऊ के ऊपर स्थित सभाकक्ष में समाचार पत्र में विज्ञापित तिथि को अपरान्ह 2.00 बजे से की जायेगी। अपरिहार्य कारणों से नीलामी की तिथि, समय एवं स्थान में परिवर्तन किया जा सकेगा अथवा नीलामी की कार्यवाही निरस्त की जा सकेगी।

4. एक बोलीदाता द्वारा लाटवार एक से अधिक वाहनों की नीलामी में भाग लिया जा सकता है।

5. बोलीदाता द्वारा नीलामी में भाग लेने हेतु उपरोक्त कार्यालय से प्रत्येक वाहन हेतु रू0 **100.00** नकद शुल्क देकर आवेदन पत्र का प्रारूप तथा नीलामी की नियम एवं शर्तें प्राप्त की जायेगी और उसे भरकर **धरोहर के रूप में** प्रति वाहन रू0 **10,000.00** नकद अथवा उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ के पक्ष में लखनऊ पर देय बैंक ड्राफ्ट के साथ उपरोक्त कार्यालय में नीलामी समय से एक घंटा पूर्व प्रस्तुत कर 1.00 बजे तक पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। उक्त धरोहर की धनराशि नीलामी समाप्त होने के पश्चात् स्वीकृत उच्चतम बोली के अतिरिक्त अन्य असफल बोलीदाता को तुरन्त वापिस योग्य होगी।

6. नीलामी में भाग लेने हेतु पंजीकृत व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति/अधिकारी को बोली लगाने हेतु पंजीकृत व्यक्ति का प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

7. नीलामी में उपस्थित प्रत्येक बोलीदाता अपनी बोली से बाध्य होगा भले ही वह ऊँची हो या नहीं।

8. संदिग्ध व्यक्ति को नीलामी कमेटी द्वारा नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

9. नीलामी कमेटी उच्चतम बोली को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगी।

10. नीलामी कमेटी द्वारा उच्चतम बोली को स्वीकार करने की स्थिति में उच्चतम बोलीदाता द्वारा बोली की नियत धनराशि का **न्यूनतम 25 प्रतिशत अग्रिम जिसमें संबंधित लाट के अन्तर्गत चिन्हित कार के लिये जमा धरोहर की धनराशि को समायोजित किया जायेगा,** तुरन्त नीलामी कमेटी के समक्ष नकद अथवा "उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ" के पक्ष में लखनऊ पर देय बैंक ड्राफ्ट/माइकर चेक द्वारा जमा करके रसीद प्राप्त की जायेगी। अग्रिम धनराशि जमा करने में असमर्थ होने पर बोली तुरन्त निरस्त करके धरोहर की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

11. नीलामी कमेटी द्वारा स्वीकृत उच्चतम बोली पर बैंक के सक्षम प्राधिकारी से अन्तिम रूप से संतुष्टि एवं अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही उच्चतम बोलीदाता को स्वीकृति पत्र जारी किया जायेगा। **स्वीकृति पत्र** प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर बोली की कुल धनराशि से अग्रिम धनराशि के समायोजन के पश्चात् अवशेष धनराशि में नीलामी द्वारा विक्रय के लिये देय वाणिज्य कर इत्यादि की धनराशि सम्मिलित कर **देय कुल अवशेष धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो वाहन स्वामी "उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ" के पक्ष में लखनऊ पर देय होगा,** बैंक मुख्यालय में नीलामी कमेटी के सदस्य–संयोजक/सहायक महाप्रबन्धक(सामान्य) को प्रस्तुत किया जायेगा। चूक करने पर अग्रिम धनराशि जब्त कर ली जायेगी। स्वीकृत उच्चतम बोली पर सक्षम प्राधिकारी के कदाचित संतुष्ट न होने की स्थिति में उच्चतम बोलीदाता को अग्रिम धनराशि वापस कर दी जायेगी।

12. नीलामी कमेटी द्वारा शर्त सं0–11 के अन्तर्गत नीलामी की देय अवशेष धनराशि प्राप्त करने के बाद स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता को वाहन हस्तान्तरण हेतु पत्र जारी किया जायेगा और उक्त पत्र प्राप्त करने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता द्वारा नीलाम वाहन को अपने व्यय पर बैंक परिसर से हटाना होगा अन्यथा की स्थिति में वाहन में किसी प्रकार की क्षति के लिये नीलाम कर्ता बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

13. नीलामी स्थान पर किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र के साथ प्रवेश वर्जित होगा।

14. नीलामी में किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में उसका निस्तारण लखनऊ के सक्षम न्यायालय में होगा।